

2022/189

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

धना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
36/22	88, 188 RTA	5931	5931

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मुन्ना शाह उर्फ बुन्ना शाह	बनाम	बजरंगलाल वगै.

वकील :- R. P. Goyal - Ad- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

5/13/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को पेश हो।

8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कुं 3 का वाद तामील सम्मत प्राप्त। जिसकी क्र 2 से श्री बालभुवन्द खण्डेलवाल एडवो. आ. बम्बालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी कुं 1, 2 व 4 व 5 की तलवी हेतु तलबना आज ही 2 लि. Ad. पेश करें। वास्ते तलवी। तलबना पत्रावली दिनांक 20/7/22 को पेश हो।

20/22

ज्या. सिविलीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...15.11.22... को पेश हो।

रौडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

14/22

ज्या. सिविलीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...30.11.22... को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

सज्जेन्द्र... सिविलीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...28.11.22... को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

सत्यनारायण वगै.



आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में
रुकावट होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
नाक 2.4.24 को पेश हो।

सिडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
अध्याय (धारा,

Not Press

2.4.24

पत्रावली पेश हुई वकील वही उधर वकील वही
उधर जब पत्र उल्टा कर कास पत्र बिना कले
का बिना बिना दे जायी की हुका पत्रावली का
उदोक्त बिना गप। जायी का प्रार्थना पत्र स्थान
बिना जाग दे वही का कास बिना बिना जाग दे
पत्रावली फल सुका उधर कास वकील वकील
के दाखिल पत्र हो